उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त, भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

रेलवे रोड़, हर्रावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001

Email : uttarakhandayurved@gmail.com, Website : www.uau.ac.in

संख्या : 1820 /उ0आ0वि0/काउन्सिलिंग/2026–27 दिनांक : 21/09/2026

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आयुष यूजी प्रथम चरण एवं अन्य चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग में राज्य कोटे के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु एनसीआईएसएम/एनसीएच द्वारा निर्धारित मानकों/काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों (BAMS/BHMS/BUMS) में प्रवेश हेतु आयुष स्नातक प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग दिनांक 24 सितम्बर 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक; द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग दिनांक 18 अक्टूबर, 2026 से 02 नवम्बर, 2026 तक तथा मॉप–अप चरण की काउन्सिलिग 06 नवम्बर, 2026 से 22 नवम्बर, 2026 तक सम्पन्न की जानी प्रस्तावित है।

उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कोटे के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों/उप–श्रेणियों में सीट आवंटित किए जाने वाले अभ्यर्थियों के संबंधित मूल प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों का सत्यापन सक्षम स्तर से कराया जाना है। अतः जिन अभ्यर्थियों को राज्य कोटे के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी/उप श्रेणी की सीट आवंटित की जाएगी, उनके द्वारा प्रस्तुत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र, जाति/आरक्षण प्रमाण–पत्र, आर्थिक रूप से पिछड़े/स्वतंत्रता संग्राम सैनानी/राज्य आन्दोलनकारी/दिव्यांगजन आदि प्रमाण–पत्रों तथा श्रेणी/उप–श्रेणी से संबंधित अभिलेखों का आपके जनपद स्तर से नियमानुसार सत्यापन कराया जाना अपेक्षित है।

यहां यह भी उल्लेख करना है कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड के माध्यम से सीट आवंटित अभ्यथियों को सीट का अंतिम रूप से पुष्ट/मान्य तब माना जाएगा, जब उसके मूल प्रमाण–पत्रों/ अभिलेखों के सक्षम स्तर से सत्यापन की पुष्टि उपरांत ही मान्य होगा। यदि सत्यापन उपरान्त किसी भी छात्र/छात्रा के प्रमाण पत्रों में विसंगति पाई जाती है, तो इस संबंध में तत्काल विश्वविद्यालय को लिखित रूप से सूचित किया जाएगा ताकि संबंधित छात्र/छात्रा के औपबन्धिक प्रवेश को **निरस्त** किया जा सके।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद के संबंधित अधिकारियों/कार्यालयों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित राज्य कोटे की सीटों के संबंध में अभ्यर्थियों के श्रेणी/उपश्रेणी के अन्तर्गत प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों का सत्यापन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 शिवकुमार बरनवाल)
कुलसचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

21.9.26

(डॉ0 शिवकुमार बरनवाल)
कुलसचिव